

आज दिनांक 24.07.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डा0 कौस्तुभ के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डा0 कौस्तुभ के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री अंशुमान मिश्रा के निकट पर्यवेक्षण मे अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा श्री विनय कुमार पाठक के नेतृत्व में आज दिनांक 24.07.2021 को समय 12.44 बजे थाना दुधारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 221 / 2021 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तगण 1- वजीहुद्दीन पुत्र अब्दुल हकीम 2- अब्दुल हकीम पुत्र शब्बीर अहमद निवासीगण बाघनगर थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को बाघनगर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- 1- वजीहुद्दीन पुत्र अब्दुल हकीम निवासी बाघनगर थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर ।
- 2- अब्दुल हकीम पुत्र शब्बीर अहमद निवासी बाघनगर थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास-

वजीहुद्दीन पुत्र अब्दुल हकीम व अब्दुल हकीम पुत्र शब्बीर अहमद का संयुक्त अपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0 59/2021 धारा 489(ख) /489(ग) भा0द0वि0 थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:- प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा श्री विनय कुमार पाठक, उ0नि0 श्री चन्द्रभान सिंह, हे0का0 प्रमोद कुमार सिंह, का0 शैलेन्द्र विश्वकर्मा, का0 विशाल सिंह ।

दुष्कर्म के मामले मे वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डाँ कौस्तुभ द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर श्री संतोष कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री अंशुमान मिश्रा के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 493 / 2021 धारा 376

/452/323/504/ 506 भा0द0वि0 मे वांछित अभियुक्त नाम पता इन्द्रजीत उर्फ लाला पुत्र शिवप्रसाद निवासी मोहम्मदपुर कठार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 16.07.2021 को वादिनी के घर मे घुसकर दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी तथा पुलिस को सूचना देने से मना करते हुए जान माल की धमकी भी दी गयी थी जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनांक 27.07.2021 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री राकेश मिश्रा, का0 संतोष यादव, का0 अनुराग ।

20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 10 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता बहाऊ पुत्र शब्बीर उर्फ दीदारु निवासी मोलनापुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना महुली पर मु0अ0सं0 218/2021 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र यादव, का0 राजन यादव ।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 10 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता हीरालाल पुत्र रामविलास निवासी बोगीडीहा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 214/2021 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री कल्पनाथ सिंह मय हमराह ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 14 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1484 द्वारा दो पक्षों में मारपीट / विवाद को कराया गया शान्त – पीआरवी 1484 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत भोटहा से इवेन्ट संख्या 01871 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से दो व्यक्तियों के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर तत्काल 07 मिनट में पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को सूचित किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 सतीशचन्द पाल, आ0 अरुण कुमार यादव, हो0चा0 मेजर यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 144 वाहनो से 128000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया
आज दिनांक 24.07.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 144 वाहनो से 128000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।